

प्रसार भारती

भारत का लोक सेवा प्रसारक

एच.पी.टी. आकाशवाणी

मलाड (प) मुंबई - 95

सं-एचपीटी मलाड /29 (2) / 2023-24/जी/

दि.- 22/11/2023

टेंडर नोटिस

दि. 01/12/2023 से 30/11/2024 अवधि तक ताडफल निकालने के लिए मोहरबंद लिफाफे में टेंडर आमंत्रित किया जाता है। एचपीटी आकाशवाणी परिसर में लगभग 150 से अधिक ताडफलों के वृक्ष स्थित है। ताडफल खरीदी के लिए शुल्क के साथ टेंडर अधोहस्ताक्षरी के नाम भेजे उपरोक्त करार के लिए निविदाकार को रु. 3000/- तीन हजार रुपये केवल की धनराशि बयाना के रूप में जमा करनी होगी। अथवा रु 3000/- का मांग मसौदा प्रसार भारती डीडीओ, प्रसारण गृह (Prasar Bharati, DDO, Broadcast House) के नाम से भेजना होगा। बयाना की राशि उन सभी निविदाकार को लौटा दी जाएगी जिनकी निविदा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अस्वीकृत किया हो। कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30/11/2023 दोपहर 12:00 बजे तक और दि. 30/11/2023 को 13.00 बजे उपस्थित होने इच्छुक उन निविदाकारों की उपस्थिति में टेंडर खोला जाएगा। धनराशि यदि संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसी समय टेंडर की राशि बातचीत से तय किया जाएगा। सफल निविदाकार को करार प्राप्ति के पश्चात 3 दिन के भीतर तुरत संपूर्ण धनराशि अदा करनी होगी, अन्यथा उनका टेंडर अस्वीकृत किया जाएगा और वे बयाना की राशि खो देंगे और अगले उच्च निविदाकार को अथवा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्णित निविदाकार को निविदा करार दिया जाएगा । सफल निविदाकार सरकारी सम्पत्ती और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाए बिना ताडफल निकालने एवं आकाशवाणी परिसर से बाहर ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था स्वयं के खर्च / स्वयं की जिम्मेदारी पर करनी होगी। इस कार्यालय को कार्मिक का नाम पता सूचित करने के साथ कार्मिक का अपेक्षित पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। बिना किसी कारण कोई भी टेंडर को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार कार्यालय अध्यक्ष को है। ट्रान्समीटर्स एरियल क्षेत्र में स्थित ताडवृक्ष से ताडफळ निकालने हेतु एरियल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्रीनिवास वालुंजकर

उपनिदेशक (अभियांत्रिकी)

सीमा
सहानिदेशक(अभियांत्रिकी)
कृते

एच.पी.टी. आकाशवाणी

मलाड (प) मुंबई - 95

निबंधन तथा शर्ते

दि. 30/11/2024 के पूर्व ताडफल निकालके एचपीटी आकाशवाणी मलाड (प) मुंबई परिसर से बाहर निकालना होगा। अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी व्यक्ति को ताडफल निकालने हेतु आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. उपनिदेशक अभियांत्रिकी के आदेश का उचित एवं कडा अनुपालन हो जिसमें किसी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विधिवत्त हस्तक्षेप न हो। पुलिस सत्यापन के आधार पर इस कार्यालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिन श्रमिकों को प्रवेश पत्र जारी किया हो इनके अलावा ठेकेदार किसी भी अनधिकृत / अन्जान व्यक्तियों को आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने न दें।

2. सरकारी संपत्ती या आकाशवाणी परिसर में संस्थापित संपत्ती को लापरवाही के नुकसान पहुँचाने पर नुकसान भरपाई का निर्धारण उपनिदेशक अभियांत्रिकी करेंगे।

3. अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार है कि निबंधन तथा शर्ते के अनुशासन का उल्लंघन करने पर तथा सार्वजनिक सेवाहित में यदि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी वक्त निविदा करार को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए ठेकेदार को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि निविदा अवधि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दर्शाए गए निबंधन तथा शर्ते का कडा अनुपालन करें। किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के मामलों में उपनिदेश (अभियांत्रिकी) का निर्णय अंतिम रहेगा।

4. ताडफल निकालने के दौरान यदि किसी मजदूर को कोई भी नुकसान या दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यह कार्यालय किसी भी दुर्घटना हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।

श्रीनिवास वालुंजकर

उपनिदेशक (अभियांत्रिकी)

सीमा
सहानिदेशक(अभियांत्रिकी)
कृते

एच.पी.टी. आकाशवाणी

मलाड (प) मुंबई - 95